

सं० सं० 14 / एम 11-2 / 16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा०. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,  
मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 06.4.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	कमल राय पिता-स्व. जटी राय मोहल्ला-354 ब्रहमपुर पो०+थाना-भगवानपुर बाजार, छपरा, जिला-सारण	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार ) स्वीकृत।
2	सुनील कुमार वर्मा पिता-गिरीश्वर नारायण वर्मा ग्राम-राजवाड़ा पो०-थाना-बरौनी जिला-बेगुसराय	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार ) स्वीकृत।
			कुल ₹ 5,00,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 5,00,000/- ( पांच लाख ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 502332 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50001127638 खाता धारक का नाम-"निदेशक, रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान, मुकुन्दपुर, कोलकत्ता " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम-आर.टी.आई.आई.सी.एस.मुकुन्दपुर,ब्रांच RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212447 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।

20/11/13  
3/4/14

5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0. आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.....529332.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 559 (14)

पटना, दिनांक 18.04.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/4/16  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.4.16

सं० सं० 14/एम 11-2/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा०. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,  
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान  
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 6.4.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	इन्दु मिश्रा पति-सुरेन्द्र मिश्रा ग्राम-नीबी पो०-सीरहीरा थाना-चौद जिला-भभुआ कैमुर सी.आर.नं०-2016086560	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	नवीन कुमार पाण्डेय पिता-कृष्ण बल्लभ पाण्डेय ग्राम-धर्मकन्धा पो०-सीमरी थाना-दावथ जिला-रोहतास सी.आर.नं०-20155920063	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	आशीष राज पिता-प्रदीप कुमार दास ग्राम-अथमल गोला बाजार पो०-थाना-अथमलगोला जिला-पटना सी.आर.नं०-2013152183	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	मास्टर शुभम पिता-अजीत कुमार ग्राम-कोदहरी पो०-चीकसी थाना-सिगोरी जिला-पटना सी.आर.नं०-2015848257	किडनी रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।

31/4/16  
13/4/16

5	सुमेर पासवान पिता-स्व. जुठन पासवान ग्राम-मदुरना पो0-हाटा थाना-चैनपुर जिला-भभुआ, कैमुर सी.आरनं0-2015919908	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
6	लक्ष्मण सिंह पिता-स्व. फुलगोन सिंह ग्राम+पो0-स्तवारा थाना-बाजपट्टी जिला-सीतामढ़ी सी.आरनं0-2015791350	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 11,75,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,75,000/- (ग्यारह लाख पचहतर हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 509320 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 एम0 एस0 पी0ई0डी0 खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस0जी0पी0जी0आई0,RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0. आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 509320 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 18.04.16

ज्ञापांक 562 (14)

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) /सभी संबंधित मरीजों /आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/04/16  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.04.16

सं० सं० 14/एम 11-2/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,  
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन  
एंड रिसर्च, चंडीगढ़ 160015

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 6.4.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सा रत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रामेश्वर दास पिता-राम प्रसाद दास ग्राम-गुलाब पट्टी पो-करनौल थाना-साहेबगंज जिला-मुजफ्फरपुर सी.आर.नं०-201505835877	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,00,000/- (दो लाख ) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,00,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,00,000/- (दो लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० ..... 509321 ..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10413583830 खाता धारक का नाम-"डायरेक्टर, पी०जी०आई० प्राइवेट ग्रान्ट ए०/सी०" खाते का प्रकार- चालु बैंक का नाम- एस० बी० आई०, शाखा का नाम- मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड सं० 01524 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21/4/16  
13/4/16

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० SP9321 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

564 (14)

पटना, दिनांक 18.04.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/11/15  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21/1/16

पत्रांक 14 / एम 11-2/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज  
आई0डी0ए0, स्कुडर रोड  
पी0 बी0 नं0-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 6.4.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मास्टर अंकित राज पिता-बैद्यनाथ कुमार सिंह ग्राम-मधुरापुर पो0-मलीकपुरा थाना-गोरौल जिला-वैशाली सी.एम.सी.नं0-411214 जी.	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार ) स्वीकृत।
2	भोला महतो पिता-रामदेव महतो ग्राम-हरपुरपुसा पो0-थाना-पुसा जिला-समस्तीपुर हौस्पिटल नं0-315108 जी.	कैंसर रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार ) स्वीकृत।
3	विमला देवी पति-उपेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम-सैदपुर गणेश पो0-पानापुर धर्मपुर थाना-विदुपुर जिला-वैशाली हौस्पिटल रजि-424096 जी.	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार ) स्वीकृत।
4	सुजाता कुमारी पिता-श्री मुन्ना कुमार ग्राम-गौतम बुद्ध कालोनी रोड नं0-1, पो0-आर.एस0 थाना-डेल्हा जिला-गया हौस्पिटल नं0-396134 जी.	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार ) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,90,000 /-

21/4/13  
13/4/13

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,90,000/-( दो लाख नब्बे हजार ) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 509219 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10404158238, खाता धारक का नाम- C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस०बी०आई०, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त"बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा.आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509219 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 18.04.16

ज्ञापांक 561 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.4.16



प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

सर सुन्दर लाल हौस्पिटल  
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस  
वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 6.4.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	धन जोतीया देवी पति-प्रभु राय ग्राम+पो०-महमदा थाना-गड़खा जिला-सारण ओ.पी.डी.नं०-593 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	बिन्दा देवी पति-रामाश्रय सिंह ग्राम-मछनहटा पो०-थाना-दुर्गावती जिला-भभुआ, कैमुर ओ०पी०डी०-1941 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	शारदा देवी पति-सीताराम साह ग्राम-पो०-धेनुकी थाना-पानापुर जिला सारण हौस्पिटल नं०-21718	कैंसर रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
4	मीरा देवी पति-जोखन साह ग्राम+पो०-पकड़ी दीक्षीत थाना-कल्याणपुर जिला-पूर्वी चम्पारण हौस्पिटल नं०-79850	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख ) स्वीकृत।
5	कृष्णानन्द चौधरी पिता-राम लोक चौधरी ग्राम-गीधा पो०-डेढ़गांव, थाना-दावथ जिला-रोहतास ओ.पी.डी.नं०-433 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।

31/5/16

6	मसमुल नेशा पति-वसीर मियां ग्राम-चुड़ीहार टोला पो0-पीपरा पकड़ी थाना-मुफसिल जिला-प0 चम्पारण (बेतिया) ओ.पी.डी नं.-2597 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
7	लीलावती देवी पति-शारदा नन्द मिश्रा ग्राम-खरीका टोला पो+थाना-गुठनी जिला-सीवान ओ.पी.डी.नं.-2743 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
8	कमला देवी पति-भुनेश्वर सिंह ग्राम-जमालपुर पो0-अतीमी थाना-नासरीगंज जिला-रोहतास ओ.पी.डी.नं0-484 / 16	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 5,90,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,90,000 /-( पांच लाख नब्बे हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 509318 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1065 4904 247(स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ), खाता धारक का नाम- कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपशान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुपयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / -

( डा0 आजाद हिन्द प्रसाद )

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 509318 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कांडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0 / -

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 18.04.16

ज्ञापांक 558 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

श्री. (सुन्दर)

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 6.4.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुन्दरी देवी पति-शत्रुघ्न दास ग्राम+पो० जलालपुर थाना-लालगंज जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार ) स्वीकृत।
2	लीला देवी पति-श्री नागेश्वर सहनी ग्राम-पो० पुनास थाना+जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) स्वीकृत।
3	रामजी प्रसाद पिता-स्व. गोपाल प्रसाद ग्राम-पो०-एकसारी थाना-सीलाव जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार ) स्वीकृत।
4	अनिता देवी पति-सृजन सिंह ग्राम-पो०-भोरसार थाना-कटोरीया जिला-बांका	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार ) स्वीकृत।
5	हुस्ने आरा पति-मो० शहाबुद्दीन ग्राम-चौद सरैया पो०-थाना-पीपरा कोठी जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार ) स्वीकृत।
6	राम लखन महतो पिता-स्व. मिश्री महतो ग्राम+पो०+थाना-खानपुर जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार ) स्वीकृत।

3/11/13  
13/11/13

7	श्री कृष्णा प्रसाद पिता-स्व. प्रसादी महतो ग्राम+पो0-चोरसुआ थाना-गिरियक जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार ) स्वीकृत।
8	कृष्णा नन्द यादव पिता-लीला यादव ग्राम-सारंगपुर, पो0-तरवारा थाना-जी0बी0 नगर जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,60,000/- (एक लाख साठ हजार ) स्वीकृत।
9	शांति देवी पति-विरचन्द्र पासवान ग्राम-पो0-चक सिंगार थाना-जुड़ावनपुर जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार ) स्वीकृत।
10	श्री सीता राम राय पिता-स्व. हरि राय ग्राम-काजवलीचक पो0-भागलपुर सिटी थाना-ततारपुर जिला-भागलपुर	हृदय रोग	₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार ) स्वीकृत।
			कुल ₹ 11,45,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 11,45,000/- ( ग्यारह लाख पैंतालीस हजार . ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 .....507308..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16590200000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु , बैंक का नाम-इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

20/11/13  
13/11/11

विश्वासभाजन

ह0/-

( डा0 आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.....509308...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 570114

पटना, दिनांक 18/04/16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों का/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21/4/16

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक  
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,  
शेखपुरा, पटना-14।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 13.04.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	वीणा देवी पति-हरिनन्दन राय ग्राम-धर्मपुर रामराय पो०-ममरेजपुर थाना-देसरी, जिला-वैशाली सी.आरनं०-152414/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	उत्तम लाल यादव पिता-स्व. कुंदन यादव ग्राम-पो०-फुलवरीया थाना-किशनपुर जिला-सुपौल सी.आरनं०-1498/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	पार्वती देवी पति-योगेन्द्र प्रसाद ग्राम-खैरा, पो०-नगरीयावां थाना-खीजरसराय जिला-गया सी.आरनं०-28704/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	बीबी गनौरीया पति-मो० ताहीर ग्राम-कमलदाहा पो०+थाना- कुरसाकाटा जिला-अररिया सी.आरनं०-22672/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

20/04/16

5	अहमद अली पिता-नियाजुद्दीन ग्राम-पो0+थाना-बारसोई जिला-कटिहार सी.आरनं0-36041 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
6	शिवेश्वर प्रसाद सिंह पिता-राम ललन सिंह ग्राम-बकुची पो0-थाना-कटरा जिला-मुजफ्फरपुर सी.आरनं0-23892 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
7	मीना देवी पति-नन्दु राम ग्राम-कादीरगंज पो0-बुढन रोड भदोखरा थाना-दरिगांव जिला-रोहतास सी.आरनं0-66410 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
8	अरुण झा पिता-स्व. जयानन्द झा ग्राम+पो0+थाना-बलीगांव जिला-वैशाली सी.आरनं0-117398 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
9	राहमनी देवी पति-नन्द किशोर सिंह ग्राम-गौहरपुर पो0-नौवडीहा थाना-खीजरसराय जिला-गया सी.आरनं0-17809 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
10	जया देवी पति-शिव चन्द्र साही ग्राम-नन्दना पो0- लौतन थाना-मीनापुर जिला-मुजफ्फरपुर पंजी / ओ.पी.डी / 054861 / 14	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000 /--(चालीस हजार) स्वीकृत।
11	अरहान अजीम पिता-मो0 अजीम अहमद ग्राम-मोगला खार पो0-थाना+जिला-नवादा सी.आरनं0-038783 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
12	गोदावरी देवी पति-स्व. शिवपुजन राय ग्राम-पो0-केसठ थाना-नावानगर जिला-बक्सर सी.आरनं0-36062 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।

20/11/15

13	कृष्णा कुमार राम पिता-अखादु राम ग्राम-सारंगपुर पो0-रतनपुर, थाना-मुफसिल जिला-भोजपुर सी.आरनं0-41851 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
14	हरि महतो पिता-देवनन्दन महतो ग्राम-समसपुरा पो0-मिल्की चकवाजे थाना-तिसीऔता जिला-वैशाली सी.आरनं0-7832 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
15	धीरज देवी पति-आशुतोष कुमार ग्राम+पो0-लालगंज सेहरा थाना-पालीगंज जिला-पटना सी.आरनं0-22353 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
16	यशोदा देवी पति-द्वारिका रविदास ग्राम-लखैय पो0-मटिया, थाना-बरहट जिला-जमुई सी.आरनं0-12759 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
17	राजेन्द्र साह पिता-जागेश्वर साह ग्राम-मल्हीपुर पो0-बी0टी.पी0एस0 थाना-बरौनी पी0एस0 जिला-बेगुसराय सी.आरनं0-14950 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
18	राम चन्द्र सिंह पिता-राजेन्द्र सिंह ग्राम-जगतपुरा पो0- बी0टी.पी0एस0 थाना-मटीहानी पी0एस0 जिला-बेगुसराय सी.आरनं0-25352 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
19	सकीना खातुन पति-मो0 अजार ग्राम-कन्हौली विशन परसी पो0-कन्हौली थाना-महुआ जिला-वैशाली सी.आरनं0-42146 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।

31/11/13  
20/11/13



20	भोला रविदास पिता-बासो रविदास ग्राम-मुड़लाचकडीह पो0-थाना-वारसलीगंज जिला-नवादा सी.आरनं0-150154 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
21	भगेलु राम पिता- प्रसाद राम ग्राम-जमुनीया पो0-दुखी छापर, थाना-गोपालपुर जिला-प0 चम्पारण सी.आरनं0-36296 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
22	सुखदेव ठाकुर पिता-स्व. वोढन ठाकुर ग्राम-मलहीपर पो0-महेशपुर थाना-भगवानपुर जिला-बेगुसराय सी.आरनं0-29746 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
23	सरस्वती देवी पति-सूर्य देव प्रसाद ग्राम-पटवा टोली-17 पो0+थाना-दाउदनगर जिला-औरंगाबाद सी.आरनं0-18613 / 16	हृदय रोग	₹ 1,25,000 / -(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
24	मुरत गोष पिता-मौजी गोष ग्राम-मंझला बीगहा पो0-बिहारी बिगहा थाना-पंडारक जिला-पटना सी.आरनं0-20659 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
25	अरूणा सिन्हा पति-स्व. सत्यदेव प्रसाद सिंह ग्राम-माछीडीह पो0-अमैया थाना-असरगंज जिला-मुंगेर सी.आरनं.-31034 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
26	जुली चौधरी पति-बासुदेव चौधरी ग्राम-कचहरी रोड बांका पो0-थाना+जिला-बांका सी.आरनं0- 4861 / 16  20/11/13 26/11/13	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।

27	शैलेन्द्र कुंवर पति-स्व. भीम सेन पाठक ग्राम+पो0-अकबरपुर थाना-पालीगंज जिला-पटना सी.आरनं0- 38460 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
28	मधु राम पिता-स्व. युगल राम ग्राम-पो0-मानगंज थाना-जदीया जिला सुपौल सी.आरनं0-22666 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
29	अब्दुल गफ्फुर पिता-अब्दुल मजीद ग्राम-तुरहा टोली पो0-दानापुर थाना-शाहपुर, जिला-पटना सी.आरनं0- 23386 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
30	सावित्री देवी पति-शिवनाथ लाल ग्राम-अथमलगोला बाजार पो0-थाना-अथमलगोला जिला-पटना सी.आरनं0- 30243 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
31	दुर्गेश कुमार शर्मा पिता-स्व0 सिंगेश्वर प्र0 शर्मा ग्राम+पो0-कासीम बाजार पो0+जिला-मुंगेर सी.आरनं0-98872 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 19,05,000 /--

- उक्त अनुदान की कुल राशि 19,05,000 /--(उन्नीस लाख पांच हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ...*2012335*...द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 503 2011 9556 खाता धारक का नाम-"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं0 मिलान

*20/11/13*  
*20/11/13*

कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...509335...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कांडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 596 (14)

पटना, दिनांक 27.05.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
श्री. (सं. ६)